न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ़ लि बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार गढवाल, आर.जे.एस.

सरकार बनाम् राजु
प्रकरण की किस्म अन्तर्गत धारा 60 पुलिस एक्ट
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 308 / 2017 (सी.आई.एस.सख्या 314 / 2017)

तारीख		
06.04.2017	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। पुलिस थाना कुशलगढ़ की ओर से यह हस्तगासा मुल्जिम राजु के विरूद्ध धारा 60 पुलिस एक्ट के तहत पेश किया। मुल्जिम पुलिस जमानत पर उपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा का मौखिक आरोप सारांश सुनाया गया तो उसने अपराध को स्वीकार कर अन्वीक्षा चाहीं तथा स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। अभियुक्त की उक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 60 पुलिस एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुना गया। रास्ते में अवरोध करने एवं आजकल बढते हुए ट्रेफिक कार्य से आये दिन दुर्घटनाए होती रहती है और रास्ते में जाम लग जाते है। जिससे आमजन को भारी परेशानी होती है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ नहीं देकर उचित अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मुल्जिम राजु पुत्र मगनलाल, जाति ढोली, निवासी भीमपुरा, थाना कुशलगढ़ को 50/— रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड मुलजिम एक दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। आदेशानुसार अर्थदण्ड रूपये **50** /— जरिये रसीद संख्या /089597 द्वारा जमा किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखिला दाखिल दफ्तर हो। (दिनेश कुमार गढ़वाल) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)	